



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी पत्रांक-1576/12-1, दिनांक: मसूरी, 28 नवम्बर, 2018।

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
देहरादून।

विषय:-

जनपद-देहरादून प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत के पुरुकुल गांव से भीतरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-10.400 किमी0) के नव निर्माण हेतु 3.528 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/20710/2016,

सन्दर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की फाईल संख्या 8बी/यू.सी.पी./06/120/2018/एफ.सी./1597, दिनांक 31-10-2018 तथा वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून का ई0डी0एस0 दिनांक 27-11-2018

महोदय,

उक्त सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित वन भूमि के आनलाईन प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा सन्दर्भित पत्र में इंगित कमियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव ऑनलाईन प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

कृपया सन्दर्भित पत्र में प्रयोक्ता एजेन्सी के स्तर से इंगित कमियों / बिन्दु सं0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 एवं 11 का निराकरण करते हुए वांछित सूचना/ संगत अभिलेख ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 में यथा स्थान अपलोड कर संगत दस्तावेजों की हार्ड प्रति मूल में निर्धारित समयान्तर्गत इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें

संलग्नक-उक्तानुसार।

केरिप्स प्रशासक/अधिकारी
कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

भवदीय

(राजीव धीमान,भा.व.से.)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001

दूरभाष: 0135-2650809

फैक्स-0135-2653010

ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL
ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/120/2018/एफ.सी./1597
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक 31.10.2018

विषय:-जनपद- देहरादून में पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी
वन भूमि के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/20710/2016)

महोदय,

उपरोक्त विषय पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनाएँ प्रेषित करने का कष्ट करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

- V.A 1. Muck dumping area is not mentioned in component wise breakup at Para B 2.4 in Part I.
Action required: State Government may upload the muck dumping area in component wise breakup at para B 2.4 online Part I.
- V.A 2. Employment detail seems incorrect.
Action Required:- State Govt. may upload the correct employment details in online Part-I at para-E.
- V.A 3. Village level committee proceedings of all the five villages are not submitted.
Action required: State Government may submit the VLC proceedings of all the five villages and upload the same online.
- V.A 4. Documents are not found uploaded at para L (iv) g & h.
Action required: State Government may upload the documents at para L (iv) g & h online Part I.
- V.A 5. Following documents have not been found uploaded in web portal.
a. Administrative approval.
b. Geologist report.
c. Joint inspection report.
d. Undertaking to bear CA cost.
e. Part V.
Action Required:- The State Govt. may upload the above mentioned documents at designated place online.
- V.A 6. Aerial distance of diversion area mentioned is 7.8 km from National Park/Sanctuary.
Action Required: - State Govt. may submit the comments of CWLW and upload the same at designated place.
7. The number of trees affects are mentioned as 158 in hard copy, whereas it is mentioned as 156

Action Required:- State Govt. may correct the discrepancy of number of trees in online portal at para-4 (ii) Part-II and submit in the hard copy

8. CA scheme is not found correct at para 13 online Part II.
Action Required:- The State Govt. may upload correct CA scheme at para 13 online Part II.
9. Density mentioned in Part II is 0.3 and NPV calculate for eco class V but in NPV calculation sheet density mentioned is 0.4 for eco class V which does not appear to be correct.
Action required: - State Govt. may review and submit revised NPV calculation sheet.

U.A 10. Authority letter uploaded is separate from one submitted in hard copy.

Action Required:- State Govt. may review and upload the correct documents at para A-2 (xvii) online.

- U.A** 11. From the KML file it appears that the area is already having good road network hence there does not seem to be any justification for constructing.
Action Required:- The State Govt. may clarify why the proposal should not be rejected.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

प्रतिलिपि:-

1. आदेश पत्रावली।

भवदीया,
कमल प्रीत
(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक